Ex.P-24

S-17

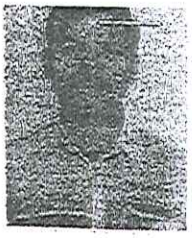

कथन
(धारा 161 द0प्र0सं0)

थाना–ईओडब्ल्यू, रायपुर
अपराध क्रमांक–09/15

जिला–रायपुर।
धारा–109, 120(बी),420 भा.द.वि.,
13(1)(डी)सहपठित धारा 13(2) भ्र.नि.अ. 1988

दिनांक–24.03.2014

श्री अमृतांशु शुक्ला पिता श्री रामअवतार शुक्ला, उम्र 32 वर्ष, पद कनिष्ट सहायक केन्द्र प्रभारी नानगरिक आपूर्ति निगम भाटापारा, जिला बलौदाबाजार, छ0ग0, निवास एच.आई.जी. 72, सेक्टर–1, दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर, मूल निवास ग्राम पोस्ट टेमरी तहसील नवागढ़ जिला बेमेतरा, छ0ग0, मो0नं0–...

––00––

पूछने पर बताया कि मैं उपरोक्त पते पर रहता हूँ तथा नवम्बर 2010 से कनिष्ट सहायक केन्द्र प्रभारी नागरिक आपूर्ति निगम भाटापारा (केन्द्रीय भण्डार गृह निगम भाटापारा) जिला बलौदाबाजार के पद पर पदस्थ होकर कार्यरत हूँ। अमृत नमक प्रदाय के लिए भाटापारा रेलवे स्टेशन को नागरिक आपूर्ति निगम की ओर से रेक पॉईन्ट निर्धारित किया गया है। इस रेक पॉईन्ट से जिला बलौदाबाजार के साथ ही रायपुर, दुर्ग संभाग के अन्य जिलों को भी अमृत नमक का प्रदाय कार्य होता है। माह मई 2014 में अमृत नमक नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय के आदेश क्रमांक/एन.ओ.आई.टी./नमक रेक/2014–15/82 रायपुर दिनांक 05.05.2014 के संदर्भ में मेसर्स सूरज आयोडाईज्ड कंपनी पातड़ी, गुजरात द्वारा भेजा गया अमृत नमक भाटापारा रेक पॉइन्ट पहुंचा, जिसका रेलवे रिशिप्ट नंबर एस.ए.–0520140002 दिनांक 05.05.2014 था। उक्त नमक की मात्रा 2600 टन आदेश अनुसार होना था, जिसमें से भाटापारा जिले को 1500 टन एवं बेमेतरा को 540 टन, कवर्धा को 100 टन, महासमुंद को 100 टन एवं रायपुर को 450 टन भेजे जाने का आदेश मुख्यालय के उल्लेखित आदेशानुसार किया गया था। दिनांक 07.05.2014 को सप्लायर सूरज आयोडाईज्ड कंपनी प्रतिनिधि मुनीष कुमार शाह द्वारा रेक पॉइन्ट से विभिन्न ट्रकों में अमृत नमक लोड कराकर केन्द्रीय भण्डार गृह निगम भाटापारा क्रमांक 01 हेतु प्रेषित किया गया, जिसे गोदाम में खाली कराया शुरू किया गया। इसी दौरान मेरे द्वारा दूरभाष पर श्री जे.पी.द्विवेदी को अवगत कराया कि रेक में प्राप्त अमृत नमक के बोरे का मानक वजन 50 किलो से कम है। जिसपर उन्होंने दूरभाष पर कहा कि मैं स्वयं भाटापारा आ रहा हूँ। और वे शाम को भाटापारा पहुंचे। उनके भाटापारा पहुंचने के बाद मैंने बताया कि लगभग 25 बोरे रेण्डम सिस्टम से तौल करवाया हूं, जिनमें से कई बोरों का वजन 50 किलो से कम आया है। तब श्री द्विवेदी ने अपने समक्ष रेण्डम सिस्टम से 10 बोरों का वजन कराया। इसमें भी कुछ बोरों का वजन 50 किलो से कम प्राप्त हुआ। किंतु इस प्रकार की तौल कार्यवाही का विवरण लिखित में नहीं रख पाने के कारण से श्री द्विवेदी दिनांक 08.05.2014 को 11:00 बजे केन्द्रीय भण्डार गृह निगम क्रमांक 01 भाटापारा पहुंचे और उनके द्वारा दिनांक 07.05.2014 को रेक से प्राप्त बोरे जो गोदाम में रखे थे उनमें से तथा दिनांक 08.05.2014 को रेलवे रेक से प्राप्त हो रहे ट्रकों में से रेण्डम सिस्टम

से विभिन्न ट्रकों से नमक की लगभग 50 बोरियॉ निकलवाकर इलेक्ट्रानिक कांटा में समक्ष में तौल कराया जिसका तौल पत्रक एवं पंचनामा भी बनवाया गया, जिसके आधार औसत वजन का आकलन करने पर 48.540 किलो ग्राम प्रति बोरा का औसत वजन गणना में आया, जिसकी सूचना कार्यालयीन पत्र कमांक/नमक/2014–15/क्यू. बलौदाबाजार कैम्प भाटापारा दिनांक 08.05.2014 के द्वारा नोडल अधिकारी आई.टी.(नमक कक्ष प्रभारी) छ.ग. सिविल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय रायपुर को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया, जिसपर नोडल अधिकारी आई.टी. (नमक कक्ष प्रभारी) द्वारा निर्देशित किया गया कि भाटापारा रेक पॉईन्ट से अन्य जिलो को भेजा जाने वाला नमक स्टॉक को भी भाटापारा केन्द्र में ही जमा करा लिया जाए तद्नुसार उन्होंने समस्त स्टॉक जो भाटापारा रेक पाइन्ट में आया था को भाटापारा नागरिक आपूर्ति निगम के केन्द्र में ही जमा कराने का निर्देश मुझे दिया। उनके द्वारा दिए गएं निर्देश अनुसार मेरे द्वारा केन्द्रीय भण्डार निगम, भाटापारा में रेक से प्राप्त नमक में से दिनांक 07.05.2014 को 4240 बोरे दिनांक 08.05.2014 को 12800 बोरे, दिनांक 09.05.2014 को 15400 बोरे एवं दिनांक 10.05.2014 को 11992 बोरे कुल 44432 बोरे नमक का भण्डारण केन्द्रीय भण्डार गृह निगम भाटापारा कमांक 01 में कराया गया। यह बात सही है कि दिनांक 07.05.2014 को 4240 बोरे अमृत नमक गोदाम में खाली कराये गए किंतु निगम के साफ्टवेयर में ट्रकों का ट्रक चालान सप्लायर माड्यूल से नहीं डले होने के कारण इसकी पावती नागरिक आपूर्ति निगम के साफ्टवेयर एवं स्कन्ध पंजी में नहीं की गई एवं केन्द्रीय भण्डार गृह निगम कमांक 01 के द्वारा डिपॉजिट की प्रकिया पूरी करने हेतु मैनें श्री द्विवेदी से मार्गदर्शन मांगा तो उन्होंने निर्देशित किया कि पैकेट के आधार पर सेल टू कन्टेन वेट अर्थात जो है जैसा है अर्थात 01 किलो के 50 पैकेट के बोरी अनुसार 01 बोरी का वजन 50 किलो मानते हुए डिपाजिट की प्रक्रिया पूरी की जाए। किंतु नागरिक आपूर्ति निगम के स्टॉक रजिस्टर में किसी भी प्रकार की पावती संबंधी इन्द्राज नहीं किया जावे। यही कार्यवाही मेरे द्वारा अन्य दिवसों के भण्डारण के समय भी अपनाई गई। नागरिक आपूर्ति निगम के साफ्टवेयर में एवं स्कन्ध पंजी में भण्डारण की पावती का इंद्राज नहीं किया गया । दिनांक 15.05.2014 को मुख्यालयीन पत्र कमांक/एन.ओ.आई.टी./नमक रेक/2014–15/127 रायपुर दिनांक 15.05.2014 द्वारा मेसर्स सूरज आयोडाईज्ड कंपनी पातड़ी गुजरात को मानक वजन 01 कि.ग्रा. प्रति पैकेट नहीं होने से समस्त स्टॉक 07 दिवस के अंदर उठाव करने हेतु निर्देशित किया गया जिसकी प्रतिलिपि श्री द्विवेदी को भी प्राप्त हुई। इस निर्देश से मुझे श्री द्विवेदी द्वारा अवगत कराते हुए मेसर्स सूरज आयोडाईज्ड कंपनी खारागोडा, राज्य गुजरात को प्रदाय किए उक्त नमक का उठाव करने हेतु कार्यालयीन पत्र कमांक/स.वि.प्र./2014–15/194/बलौदाबाजार दिनांक 13.05.2014 के द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसकी प्रतिलिपि मुख्यालय एवं मुझे भी भेजी गई थी। दिनांक 04/06/2014 को मुख्यालयीन पत्र कमांक/एन.ओ.आई.टी./साल्ट/2014–15/204/रायपुर दिनांक 04.06.2014 के द्वारा मेसर्स सूरज आयोडाईज्ड कंपनी को निर्देशित किया गया कि रायपुर और भाटापारा में प्राप्त अमृत नमक के रेक का सेग्रीगेशन आप स्वतः के खर्चे पर कराकर 50 किलो से कम वजन के बोरे वापस लेवें एवं सही वजन के बोरे (50 कि.ग्रा. के नेट वजन) निगम द्वारा लिए जाएंगे। इस प्रकिया को पूरा करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाने के

निर्देश प्राप्त हुए थे। कमेटी में सदस्य के रूप में नागरिक आपूर्ति निगम का केन्द्र प्रभारी, केन्द्रीय भण्डार गृह निगम का शाखा प्रबंधक एवं नमक प्रदायकर्ता का प्रतिनिधि शामिल करने के निर्देश थे। कमेटी द्वारा रेक से प्राप्त भण्डारित बोरो के सेग्रीगेशन कार्यवाही में तौल कराकर 50 कि.ग्रा. नेट वजन से कम वजन के बोरों को पृथक किया जाकर इन्हें प्रदायकर्ता को वापस करने हेतु निर्देश दिए गए थे। इस संबंध में उक्त निर्देश को पृष्ठांकित करते हुए श्री द्विवेदी द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक/पृ.क्र./अ. नमक/2014–15/215/बलौदाबजार दिनांक 10.06.2014 के माध्यम से मुझे भेज दिया गया था। उनके निर्देश पर मेरे द्वारा शाखा प्रबंधक केन्द्रीय भण्डार गृह निगम को पत्र दिनांक 11.06.2014 जारी कर सेग्रीगेशन कमेटी के गठन हेतु प्रतिनिधि नामांकित करने एवं नामांकित प्रतिनिधि की उपस्थिति में प्राप्त अमृत नमक का सेग्रीगेशन कराकर डिलीवरी देने हेतु अनुरोध किया गया था। मेरे द्वारा दिनांक 13.06.2014 को पत्र के माध्यम से श्री द्विवेदी को अवगत कराया गया कि शाखा प्रबंधक केन्द्रीय भण्डार गृह निगम क्रमांक 01 के द्वारा वेयर हाउस में सेग्रीगेशन की अनुमति प्रदान नहीं की जा रही है साथ ही यह भी लेख किया गया कि उनके द्वारा दूरभाष पर दिए गए आदेशानुसार वर्तमान में अमृत नमक के दिनांक 08.05.2014 को बनाए गए पंचनामा में प्राप्त औसत वजन 48.540 कि.ग्रा. प्रति बोरा के अनुसार जमा भुगतान का कार्य किया जा रहा है एवं तदनुसार पूर्व में केन्द्रीय भण्डार गृह निगम को जारी डिपॉजिट फार्म में 50 कि.ग्रा. प्रति बोरा के अनुसार उल्लेखित कुल वजन को 48.540 कि.ग्रा. प्रति बोरा औसत वजन के हिसाब से संशोधित किया गया है। पत्र में आगामी प्रकिया के लिए मार्गदर्शन मांगा गया था। चूंकि दिनांक 04.05.2014 को ही मुख्यालय से श्री द्विवेदी द्वारा दूरभाष पर पूछे जाने पर निर्देश प्राप्त हुआ कि सेग्रीगेशन करवाये जाने हेतु पत्र भेजा जा रहा है। आप औसत वजन के आधार पर अमृत नमक का वजन करवाएं। तब श्री द्विवेदी के निर्देश पर मेरे द्वारा तैयार पंचनामा अनुसार आंकलित औसत वजन 48.540 कि.ग्रा. प्रति बोरा को आधार मानकर बिना सेग्रीगेशन कार्यवाही जिले के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केन्द्रों को एवं अन्य जिले के केन्द्रों को भेजने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। इसी अनुसार नागरिक आपूर्ति निगम के स्कन्ध पंजी एवं साफ्टवेयर में भी प्राप्ति, पावती इंद्राज किया गया। यह बात सही है कि सेग्रीगेशन कराये बिना ही उक्त वितरण किया गया। क्योंकि विगत 02 माह से उपभोक्ताओं को नमक का वितरण नहीं किया गया था, जिसके कारण वितरण तत्काल प्रारंभ कराया गया। मुख्यालय के आदेशानुसार मेसर्स सूरज आयोडाइज्ड कंपनी के स्थानीय प्रतिनिधि मुनीष कुमार शाह द्वारा मुझसे 50 किलो से कम वजन वाले नमक के बोरे वापस ले जाने हेतु निवेदन किया, जिसके संबंध में मुझे श्री द्विवेदी द्वारा आदेशित किया गया कि मेसर्स सूरज आयोडाइज्ड कंपनी द्वारा वाहन उपलब्ध कराये जाने पर उसे छंटाई किए हुए कम वजन के बोरे वापस किए जाएं। दिनांक 19.06.2014 को मेरे द्वारा श्री द्विवेदी को अवगत कराया गया कि सूरज आयोडाइज्ड कंपनी द्वारा 1080 बोरे ले जाया गया तथा पुनः दिनांक 23.06.2014 को अवगत कराया गया कि 1240 बोरों सूरज आयोडाईज्ड कंपनी द्वारा वापस ले जाया गया । इस प्रकार कुल 2320 बोरा अमृत नमक सूरज आयोडाईज्ड के स्थानीय प्रतिनिधि श्री मुनीष कुमार शाह को भाटापारा प्रदाय केंद्र से मेरे द्वारा वापस किया गया। शेष स्कन्ध को जिले के अंदर पी.डी.एस. केन्द्रों में 23670 बोरा जिनका वजन 11489.48 एवं अन्य जिले के केंद्र

क्रमशः दिनांक 21.07.2014 को महासमुंद को 540 बोरा वजनी 262.12 क्विंटल, दिनांक 30.06.2014 को बेमेतरा 540 बोरा वजनी 270 क्विंटल एवं 18, 21, 22, 23.07.2014 को कवर्धा जिले के पंडरिया, कवर्धा एवं बोड़ला प्रदाय केंद्रो को 3260 बोरा वजनी 1582.48 क्विंटल वजनी अमृत नमक प्रदाय किया गया। यह बात सही है कि भाटापारा भण्डारण केन्द्र में सेग्रीगेशन की कार्यवाही नहीं की गई। 50 कि.ग्रा. के कम वजन के जिन 2320 बोरों को पृथक कर वापस किया गया उन्हें श्री द्विवेदी के निर्देश के पालन में मेरे बताए अनुसार हम्मालों ने लोडिंग के दौरान स्वयं के व्यक्तिगत अनुमान से काफी कम वजनी बोरों को पृथक कर छांटा था। कोई भी तौल कार्यवाही इस दौरान नहीं की गई थी। चूंकी सेग्रीगेशन की कार्यवाही हेतु सेग्रीगेशन कमेटी ही नहीं बनाई गई थीं, इसलिए सेग्रीगेशन किया ही नहीं गया था। इसके पीछे कारण यह था कि प्रबंध संचालक श्री टुटेजा शिवशंकर भट्ट व नमक प्रदायकर्ता के एजेण्ट मुनीष शाह अपने फायदे के लिए सेग्रीगेशन नहीं होने देना चाहते थे, जिसके एवज में उनके द्वारा अवैध उगाही की जा सके।

भाटापारा केन्द्रिय भण्डार निगम क्र0–01 में प्राप्त अमृत नमक को जिले के विभिन्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्रों मे वितरण का कार्य किया गया जिसमें आये परिवहन व्यय का भुगंतान नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा जिला प्रबंधक जिला बलौदाबाजार भाटापारा द्वारा किया गया है। इसी प्रकार विभिन्न जिलों क्रमशः महासमुंद, बेमेतरा एवं कवर्धा को भेजें गये अमृत नमक में से कर्वधा के तीन केन्द्रों क्रमशः राज्य भण्डार गृह निगम कवर्धा, पण्डरिया एवं बोड़ला हेतु परिवहन देयक प्राप्त होनें पर जिला प्रबंधक बलौदाबाजार भाटापारा द्वारा परिवहन व्यय के भुगतान की कार्यवाही की गई है। एल.आर.टी. योजनांतर्गत विवरण देयक एल.आर.टी. 2014074411015 भाटापारा से एस.डब्ल्यू.सी. कवर्धा, एल.आर.टी. 2014074411014 भाटापारा से एस.डब्ल्यू.सी. पंडरिया एवं एल.आर.टी. 2014074411018 भाटापारा से एस.डब्ल्यू.एसी. बोड़ला दिखाकर पूछने पर बताया कि जिस नमक का सेग्रीगेशन किया जाना था उसको इन एल.आर.टी. के माध्यम से भेजा गया तथा क्रमशः 16528/– रूपये, 60915/– रूपये, एवं 20448/– रूपये का भुगतान (कुल भुगतान 97,891/–) मयूर परिवहन को किया गया। वस्तुतः इस नमक का परिवहन जिलों में नहीं किया जाना चाहिए था, वरन इसका सेग्रीगेशन किया जाना चाहिए था, जो कि बिना सेग्रीगेशन कराए इसको रेक प्वाइंट से जहॉ भेजा गया है, वहॉ। का भुगतान नमक कंपनी को करना चाहिए था, जो नागरिक आपूर्ति निगम ने किया। इस प्रकार अवैधानिक लाभ प्रदायकर्ता कंपनी को दिया गया, जिससे नागरिक आपूर्ति निगम को क्षति हुई। दिनांक जबकि महासमुंद एवं बेमेतरा मे परिवहन किये गये अमृत नमक के संदर्भ में परिवहनकर्तागणों द्वारा देयक प्रस्तुत नहीं करनें के कारण आहरण एवं भुगतान की कार्यवाही नहीं की जा सकी है। कवर्धा जिलें के तीनों केन्द्रो को भेजे गये अमृत नमक के परिवहन देयक आज मै लेकर नहीं आया हूं अग्रिम दिवसों में प्रस्तुत कर दूंगा।

अमृत नमक भुगतान देयक नस्ती (2013–14 एव 2014–15) नमक सप्लायर मेसर्स सूरज आयोडाईज्ड कंपनी पातड़ी गुजरात की फाईल को दिखाकर पूछनें पर बताया कि इस फाईल के नोटसीट पेज क्रमांक–57 के पैरा 08 में भाटापारा रैक पाईंट पर प्रदाय

किए गए अमृत नमक का देयक प्रस्तुत किया गया है जो कुल 2457.900 टन नमक के क्रय हेतु नमक प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत देयक की कुल राशि 92,46,865.31 के विरूद्ध के लगभग 90 प्रतिशत राशि 83,20,000/– होता है। उक्त पर भुगतान स्वीकृति हेतु 90 प्रतिशत की अग्रिम राशि 83,20,000/– के भुगतान की अनुसंसा एस0एस0 भट्ट द्वारा की गई। जिसे एम0टी0 अनिल टुटेजा द्वारा स्वीकृत कर आदेशित किया गया। इसी फाईल के पेज नंबर–256 एव 257 में देयक भुगतान संलग्न है जिसमें सूरज आयोडाईज्ड कंपनी पातड़ी के अधिकृत एजेंट मुनीश कुमार शाह के द्वारा 92,46,856.31 रू0 के पावती के हस्ताक्षर है। यही मेरा कथन है।

(एस0के0 सेन)
निरीक्षक
ए0सी0बी0 रायपुर